# भूखंडों पर तय समय में उद्योग न लगा तो रद्द होगा आवंटन

**प्रदेश में यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अध्यादेश, 2022 लागू**

**नए निवेशकों के लिए औद्योगिक भूखंडों की उपलब्धता बढ़ेगी**

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक भूखंडों पर तय समय में उद्योग न लगाने पर उसका आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। यह पट्टे की रजिस्ट्री की तारीख से आठ वर्ष अथवा आवंटन की शर्तों में शामिल अवधि, जो भी अधिक हो, मानी जाएगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में नई शर्तों को शामिल किया है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अध्यादेश-2022 को राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर दिया गया है।

दरअसल, निवेशक लंबे समय से तय समय में औद्योगिक प्लॉट का उपयोग न करने वाले भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दूसरे निवेशकों को आवंटित करने की मांग करते रहे हैं। शासन ने अब इस संबंध में कार्यवाही की है। नियमों में व्यवस्था की गई है कि भूखंड का आवंटन व रजिस्ट्री निरस्त करने के बाद भूमि प्राधिकरण में शामिल हो जाएगी। इसके बाद आवंटी द्वारा जमा की गई रकम की अदायगी संबंधित प्राधिकरण की नीति के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार आवंटन को निरस्त करने संबंधी समय को बढ़ा भी सकेगी। सरकार के इस निर्णय से नए निवेशकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की उपलब्धता बढ़ेगी।

## इस तरह होगी कार्यवाही

- जहां कोई भूखंड किसी औद्योगिक इकाई या किसी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवा इकाइयों (आईटी व आईटीईएस) की स्थापना के लिए 28 जुलाई, 2020 के पूर्व पट्टे पर आवंटित की गई हो।
- आवंटित भूमि का उपयोग प्राधिकरण से निर्धारित मानदंडों के अनुसार (क्रियाशीलता/न्यूनतम अधिभोग) 28 जुलाई, 2020 तक न किया गया हो।
- पट्टा विलेख की रजिस्ट्री करने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि अथवा आवंटन की रजिस्ट्री व शर्तों के अनुसार ऐसे उपयोग के लिए तय अवधि, जो भी अधिक हो, 28 जुलाई, 2020 तक बीत चुकी हो।
- प्राधिकरण द्वारा ऐसे आवंटी को 31 दिसंबर 2022 से कम से तीन महीने पहले इस भूमि का उपयोग 31 दिसंबर 2022 तक तय प्रयोजन के लिए करने की नोटिस दी जा चुकी हो तथा ऐसा करने से विफल होने संबंधी परिणामों की जानकारी दे दी गई हो।
- आवंटी द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक भूमि का उपयोग न किया जाए तो यह आवंटन तथा रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2022 को स्वतः रद्द मानी जाएगी और संबंधित भूमि प्राधिकरण में निहित हो जाएगी।


**कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible], वि.ख. खीरों, रायबरेली**

[illegible] 2021-22

दिनांक 03-01-2022

**निविदा सूचना**

[illegible] 2021-22 [illegible] 04-01-2022 से 29-01-2022 [illegible] 12 बजे तक [illegible] 29-01-2022 [illegible]

कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-

कार्यों का विवरण

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत | निविदा मूल्य | धरोहर धनराशि | कार्य दायी संस्था | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 445214.00 | 500.00 | 5000.00 | ग्राम पंचायत [illegible] | 3 माह |

नियम एवं शर्तें:- [illegible]

(दिनेश कुमार) [illegible] वि.ख.-खीरों-रायबरेली

(दीपक कुमार) ग्राम प्रधान [illegible] वि.ख.-खीरों-रायबरेली

**कार्यालय ग्राम पंचायत अरखापुर, वि.ख. खीरों, रायबरेली**

[illegible] 2021-22 दिनांक 03-01-2022

**निविदा सूचना**

[illegible] 2021-22 [illegible] 04-01-2022 से 11-01-2022 [illegible] 12 बजे तक [illegible] 11-01-2022 [illegible]

कार्य का विवरण निम्न प्रकार है-

कार्यों का विवरण

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत | निविदा मूल्य | धरोहर धनराशि | कार्य दायी संस्था | कार्य पूर्ण करने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 413296.00 | 300.00 | 5000.00 | ग्राम पंचायत अरखापुर | 3 माह |
| 2 | [illegible] | 296000.00 | 300.00 | 3000.00 | ग्राम पंचायत अरखापुर | 3 माह |

नियम एवं शर्तें:- [illegible]

[illegible] वि.ख.-खीरों-रायबरेली

[illegible] ग्राम प्रधान [illegible] वि.ख.-खीरों-रायबरेली

उ. प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, ई-